	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 01, मंगलवार, *शाके* 1948- अप्रेल 21, 2026 Vaisakha 01, Tuesday, Saka 1948- April 21, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अभ्यावेदन निस्तारण आदेश

जयपुर, मार्च 28, 2026

संख्या प.9(55)राज-1/2025-26776:- इस विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं द्‌वारा बालोतरा जिले की तहसील सिणधरी के मूल राजस्व ग्राम में से नवीन राजस्व ग्राम कासनियों की ढ़ाणी,बन्नोणी देदड़ों की ढ़ाणी एवं आईदोनोणी देवासियों की ढ़ाणी के विरूद्‌व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयजोधपुर में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में न्यायालय द्‌वारा निर्णय पारित किये गये हैं। न्यायिक आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों, विभाग में प्राप्त प्रस्तावों एवं जिला कलक्टर, बालोतरा की टिप्पणी का निर्धारित मापदण्डों के परीप्रेक्ष्य में परीक्षणोरांत उक्त नवघोषित राजस्व ग्राम उपयुक्त है।

नवीन राजस्व ग्राम जिनके अभ्यावेदन निस्तारित किए गए है, का विवरण निम्न तालिकानुसार हैः-

क्र.सं.	तहसील	मूल राजस्व ग्राम	नवीन राजस्व ग्राम	अधिसूचना का विवरण	SBCW No. & Order
	1	2	3	4	5
1	सिणधरी	अमरपुरा	कासनियों की ढ़ाणी	9(94)Rev-1/2023/Pt-1 Date 07.10.2023	863/2024 Date 05.02.2026
2		राणेरी	बन्नोणी देदड़ों की ढ़ाणी	9(55)Rev-1/2025-26776 Date 26.03.2025	9169/2025 Date 10.02.2026
3		भाम्भुओं की ढ़ाणी खारा माहेचान	आईदोनोणी देवासियों की ढ़ाणी		9508/2025 Date 10.02.2026

अतः राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्व ग्राम कासनियों की ढ़ाणी, बन्नोणी देदड़ों की ढ़ाणी एवं आईदोनोणी देवासियों की ढ़ाणी को यथावत रखा जाना निर्णित कर अभ्यावेदन निस्तारित करती है। जिला कलक्टर, बालोतरा उक्त राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करेंगे। **यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।